उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 150/2018

गिरधारीलाल पुत्र सेडू जाति माली निवासी बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ
—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता : वादीगण —श्री प्रदीपकुमार झाझडिया
अधिवक्ता : प्रतिवादी — राजपैरोकार ना.तह.

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.07.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी की सरहद में भूमि ख.न. 1021/0.34, 1022/0.30, 1023/0.15, 1024/0.30, 1025/0.48, 1026/0.40, 1027/0.32, 1028/0.26, 1029/0.34, 1031/0.26, 1032/0.10, 1034/0.03, 1035/0.10, 1036/0.33, 1037/0.25, 1105/0.08 किता 16 कुल रकबा 4.04 है0 स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा है। वादी के हक हिस्से बाबत उक्त वाद में कोई विवाद नही है। वादी का सही नाम व वास्तविक नाम गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम है परन्तु उक्त वादी के राजस्व रिकार्ड मं वादी के सही नाम के सत्यापन के अभाव में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम के स्थान पर गटू पुत्र सेडू गलत दर्ज कर दियाि। उक्त गलत नम से राजस्व रिकार्ड दर्ज होने के कारण वादी को हक जगह पेरशानियों का सामना करना पडता है गिरधारीलाला व गटॅ दोनो नामों का एक व्यक्ति वादी ही है। सेडूराम के दो पुत्र पुत्र गिरधारीलाल व छोटू हुये। गटू नाम का कोई पुत्र नही था। कटू पुत्र सेडू नाम का व्यक्ति वादी ही है वादी के समस्त दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में वादी का नाम गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज हुआ है जो राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की लापरवाही वश सही नाम के सत्यापन के अभाव मे दर्ज हुआ है इसलिये उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में गटू पुत्र सेडू के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे जिसके लिये उक्त वाद सेवामें पेश है। वादी अनपढ़ व्यक्ति है जिसको गलत रिकार्ड की जानकारी नही थी। वादी ने अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक में सम्पर्क किया बैंक वालों ने वादी को उसके अन्य दस्तावेज राशनकार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में राजस्व रिकार्ड में गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई जिसके तुरन्त बाद ही वादी ने उक्त वाद पेश किया है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बरान में गटू पुत्र सेडू के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी की भूमि ख.न. 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037 व 1105 किता 16 कुल रकबा 4.04 है0 की खातेदारी में गटू पुत्र सेडू हिस्सा 1/4 जाति माली के नाम रिकार्ड दर्ज है। ग्राम बागोरिया की ढाणी के मज में आम में जांच करने पर पाया कि गटू पुत्र सेडू का सही नाम गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम बताया गया। वादी द्वारापेश किये गये पहचान दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र में गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम ही नाम अंकित है। गटू पुत्र सेडू व गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी का नाम गटू पुत्र सेडू के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम का नाम दुरूस्त करना उचित होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व जबाब प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बागोरिया की ढाणी संवत 2067 से 2070 मे गटू छोटू पुत्र सेडू हि.हि. 1/2 माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत छाया प्रति आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजात में गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम का अंकन किया गया है। ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार सेडूराम निवासी बागोरिया की ढाणी के दो पुत्र गट्टूराम उर्फ गिरधारीलाल व छोटूराम हुये। सेडूराम के इनके अलावा कोई पुत्र नही है। गट्टूराम उर्फ गिरधारी लाल दोनो नामों का एक ही आदमी है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ के अनुसार वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरिया की ढाणी की भूमि ख.न. 1021/0.34, 1022/0.30, 1023/0.15, 1024/0.30, 1025/0.48, 1026/0.40, 1027/0.32, 1028/0.26, 1029/0.34, 1031/0:26, 1032/0.10, 1034/0.03, 1035/0.10, 1036/0.33, 1037/0.25, 1105/0.08 किता 16 कुल रकबा 4.04 है0 में गटू पुत्र सेडू हि0 1/4 के स्थान पर गिरधारी लाल पुत्र सेडूराम 1/4 हिस्से का नाम दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 150/2018 (गिरधारी लाल बनाम भूमि धारक राज0 सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ वहाजिरी..वकील वादीनी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.07.2019 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरिया की ढाणी की भूमि ख.न. 1021/0.34, 1022/0.30, 1023/0.15, 1024/0.30, 1025/0.48, 1026/0.40, 1027/0.32, 1028/0.26, 1029/0.34, 1031/0.26, 1032/0.10, 1034/0.03, 1035/0.10, 1036/0.33, 1037/0.25, 1105/0.08 किता 16 कुल रकबा 4.04 है0 में गटू पुत्र सेडू हि0 1/4 के स्थान पर गिरधारी लाल पुत्र सेडूराम 1/4 हिस्से का नाम दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

जिन्स....–.................... मुवलिग...........–...........बावत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह....–..................... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 05 माह 07 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner